www.cbi.gov.in

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 01.06.2017

सी.बी.आई. ने बैंक के साथ घोखाधड़ी के आरोपो पर कारपोरेशन बैंक के दो तत्कालीन मुख्य प्रबन्धकों ; प्राइवेट फर्मों के निदेशक/ प्रोत्साहक एवं एक अधिवक्ता सहित अन्यों के विरुद्ध तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए और 10 स्थानों की तलाशी ली ।

सी.बी.आई. ने आपराधिक षड़यंत्र, धोखाधड़ी एवं जालसाजी आदि के आरोपो पर दो तत्कालीन मुख्य प्रबन्धकों ; प्राइवेट फर्मों के निदेशक/ प्रोत्साहक ; मध्यस्थों ; एक अधिवक्ता तथा अन्यों के विरूद्ध कारपोरेशन बैंक की शिकायत पर तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए। ऐसा भी आरोप था कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में नामित आरोपियों ने झूठे एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण ले कर कपटपूर्ण तरीके से बैंक को धोखा देने के उद्देश्य से विभिन्न फर्मों की शुरूवात की तथा प्राइवेट एजेन्सियों ने ऋण मंजूरी प्राप्त करवाने हेतु झूठी रिपोर्ट दे कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारपोरेशन बैंक को करोड़ों रू. की भारी हानि हुयी।

गाज़ियाबाद (07 स्थानों) ; दिल्ली, गुड़गाँव व नोयडा (प्रत्येक में एक स्थान पर) स्थित प्राइवेट व्यक्तियों एवं बैक कर्मियों के कार्यालय-सह-आवासीय परिसरों सहित 10 स्थानों पर आज तलाशी की गई जिसमें मामले से संबद्ध दस्तावेज बरामद हुए।

पहला मामला, तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक, कारपोरेशन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिणी दिल्ली ; तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक एवं शाखा प्रबन्धक, वसन्त विहार शाखा, नई दिल्ली ; एक अधिवक्ता ; दिल्ली/ गुड़गाँव स्थित प्राइवेट सलाहकार फर्म ; दो मध्यस्थों (प्राइवेट व्यक्ति) ; गाज़ियाबाद दिल्ली स्थित प्राइवेट हेल्थकेयर फर्म के दो निदेशकों और अन्य अज्ञातों के विरुद्ध गलत, झूठे एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर नौ करोड़ रू. की धनराशि को दिल्ली की उक्त प्राइवेट हेल्थकेयर फर्म को ऋण मंजूरी देने के द्वारा बैंकके साथ की गई धोखाधड़ी के आरोपो पर

भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 468 व 471 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1)(डी) के तहत दर्ज हुआ।

दुसरा मामला, तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, कारपोरेशन बैंक, दक्षिणी दिल्ली ; तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक व शाखा प्रबन्धक, कारपोरेशन बैंक, वसन्त विहार शाखा, नई दिल्ली ; एक अधिवक्ता ; दिल्ली/ गुड़गॉव स्थित प्राइवेट सलाहकार फर्म ; दो मध्यस्थों (प्राइवेट व्यक्ति) ; दिल्ली स्थित प्राइवेट फर्म के प्रोत्साहक तथा अन्य अज्ञातों के विरुद्ध गलत, झूठे एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर नौ करोड़ रू. की धनराशि का ऋण उक्त फर्म को मंजूरी देने के द्वारा बैंक के द्वारा बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी के आरोपो पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 468 व 471 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1)(डी) के तहत दर्ज हुआ।

तीसरा मामला, तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक, कारपोरेशन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिणी दिल्ली ; तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक एवं शाखा प्रबन्धक, कारपोरेशन बैंक, वसन्त विहार शाखा, नई दिल्ली ; एक अधिवक्ता ; दिल्ली/ गुड़गॉव स्थित एक प्राइवेट सलाहकार फर्म ; दो मध्यस्थों (प्राइवेट व्यक्ति) ; दिल्ली स्थित प्राइवेट फर्म के प्रोत्साहक एवं अन्य अज्ञातों के विरुद्ध झूठे एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर उक्त फर्म को नौ करोड़ रू. की धनराशि का ऋण मंजूरी देने के द्वारा बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी के आरोपो पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 468 व 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1)(डी) के तहत दर्ज हुआ।

आगे की जांच जारी है।